>

Title: Situation arising due to the arrival of refugees from Myanmar in Delhi.

**श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर):** महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। गत् कई दिनों से चर्चा में एक विषय आ रहा है, एक्शन उस पर शुरू हो गया है, यह भी जानकारी मिली, लेकिन उसको लेकर मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं, वे मैं आपके सामने रखना चाहूंगी।

कई दिनों से म्यांमार से करीब पच्चीस सौ से भी ज्यादा, ढ़ाई-तीन हजार लोग दिल्ली में आकर बस गए हैं। दिल्ली में बसने के बाद वहां से वसंत विहार से उनको वसंत कुंज में शिफ्ट किया गया, वहां एक ऐसा ही प्रोटैक्टेड मॉन्यूमैन्ट है, वहां पर वे बस गए। फिर दो तीन दिन बाद उनको वहाँ से भी निकालने की कार्रवाई शुरू हो गई। यह सब जो प्रक्रिया हो गई, उसमें करीब ढाई-तीन हज़ार किलोमीटर दूर से एक काफ़िला चलता है, हिन्दुस्तान में आता है और किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बसेंगे - बेरोक-टोक वहाँ से ढाई-तीन हज़ार लोग निकल पड़ते हैं और दिल्ली तक आ जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में आकर यहाँ के प्रोटैक्टेड मॉन्यूमैन्ट में बस जाते हैं।

इसमें यह सवाल उठता है कि एक तो इतने लोग यहाँ पर आकर रहेंगे, न उनके खाने-पीने का इंतज़ाम, न सैनिटेशन की कोई व्यवस्था और ढाई-तीन हज़ार लोगों के कारण आस-पास के लोगों की सुरक्षा और दिल्ली की सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है। आज हमारी स्थिति यह है कि हम अपने हिन्दुस्तान के लोगों को ही कहीं न कहीं रोटी, कपड़ा और मकान देने की स्थिति में नहीं हैं, भुखमरी के कारण आत्महत्याएँ हो रही हैं, हम पीने का शुद्ध पानी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में इतने लोग एक तो यहाँ आकर बस गए, उसके बाद जो बात होती है, वह और थोड़ी चिन्ता करने वाली बात है कि हम पहले ही कई सारे घुसपैठियों से परेशान हैं, वह एक अलग मुद्दा बनता है, मगर यहाँ आने के बाद दिल्ली की मुख्य मंत्री ने अगर सही में कहा है तो वह भी एक चिन्ता का विषय बनता है। उन्होंने यह कहा कि हमें लगा था कि जिस ज़मीन पर वे बसे हैं, वह वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, हमने ध्यान नहीं दिया। अब मालूम हुआ कि वह डीडीए की ज़मीन है तो हम ध्यान देंगे। तो क्या हिन्दुस्तान में वक्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर कोई भी बाहर से आकर बस सकता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देगा? यह किस प्रकार की शासन व्यवस्था है?

एक और बात जो मन में आती है कि अलग-अलग प्रकार से इस पर बातचीत हो रही है। एक और बात यह हो रही है कि वे कह रहे हैं कि हमें रिफ्यूजी कार्ड लेने के लिए यूनाइटेड नेशन्स हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी से मदद मिलेगी। वहाँ के एक अधिकारी का स्टेटमैंट इस प्रकार का आता है। पहले तो वे कह रहे हैं, उनको जाने के लिए कहा इंडिया में, जहाँ जहाँ उनके नगर हैं, घर हैं, वहाँ वे जाएँ। वे जम्मू के हैं या सहारनपुर के हैं, वे कहाँ के हैं, यह किसी को मालूम नहीं। यह कहा जाता है कि वे म्याँमार से आए हैं। फिर इस प्रकार की बात कही जाती है। फिर हाई कमीशन वाले यह भी कहते हैं कि इनको हम रिफ्यूजी कार्ड देंगे, लेकिन इनको लॉंग टर्म वीज़ा इंडिया गवर्नमैंट ने देना है, इंडिया गवर्नमैंट देगी। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि इंडिया में किसी प्रकार का कानून नहीं है। यह किस प्रकार की स्थिति है और इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? क्या हिन्दुस्तान में कहीं से भी लोग आएँगे, यहाँ पर रहेंगे, हमारे पास कोई कानून नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? न हमारी सरकार इस बारे में कुछ बोल रही है। पहले ही मिज़ोरम और दूसरे प्रदेशों में लोग आकर हज़ारों की संख्या में बसते हैं जो चिन्ता का विषय है। अब दिल्ली तक वे आ गए हैं, हमारी नाक के नीचे आ गए हैं। मैं चाहूँगी कि सरकार गंभीरता से इन बातों पर देखे और सरकार की तरफ से कोई न कोई स्टेटमैंट इस पर आना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The following hon. Members are allowed to associate themselves with the matter raised by Shrimati Sumitra Mahajan:

Shri Ramen Deka

Shri Kabindra Purkayastha

Yogi Aditya Nath

Shri Syed Shahnawaz Hussain

Shrimati Rama Devi

Shri Haribhao Jawale

Shri Hansraj G. Ahir

Shri Rajendra Agarwal

Shri Vinrendra Kumar

Shrimati Jayshreeben Patel

Shri Poonam Veljibhai Jat

Shri P.L. Punia